राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिसर, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र. / एन.एच.एम. / NIPI / 2015 /5562 भोपाल, दिनांक 26.5 / 2015

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः– **वर्ष 2015–16 में नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (NIPI) एवं साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण (WIFS) कार्यक्रम के प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।**

*****

नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव–परिपत्र क्रमांक 1 (2015–16)

विषयांतर्गत लेख है कि एनीमिया / रक्ताल्पता देश की एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, जिसके निवारण व रोकथाम हेतु जीवन–चक्र आधारित रणनीति अपनाई जाने की महती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार द्वारा नवीन कार्यक्रम **"नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (NIPI)"** का शुभारंभ किया गया है। **NIPI** कार्यक्रम के अंतर्गत 10 से 19 वर्षीय किशोरवय बालक –बालिकाओं हेतु प्रदेश में संचालित पूर्ववर्ती WIFS कार्यक्रम को भी समाहित किया गया है। **एनीमिया विशेषकर आयरन की कमी से होने वाली एक गंभीर जन समस्या है। लगभग 20 से 40 प्रतिशत मातृ मृत्यु का अंतर्निहित कारण एनीमिया होता है।**

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 (NFHS-3) के अनुसार लगभग 58 प्रतिशत गर्भवती महिलायें, 56 प्रतिशत किशोरी बालिकायें (15 से 19 वर्ष) 30 प्रतिशत किशोरवय बालक एवं लगभग 74 प्रतिशत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं।

नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम के कियान्वयन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–

1. नेशनल प्लस आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम का कियान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, एकीकृत बाल विकास सेवायें, से समन्वय कर किया जा रहा है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्य संभाग एवं जिला स्तर पर पदस्थ डेवलपमेन्ट पार्टनर्स, (यूनिसेफ, एम.आई.,एवं डीवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव) के प्रतिनिधियों का तकनीकी सहयोग लिया जाये।
2. प्रत्येक तिमाही में कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यक्रम के अंतर्गत गठित जिला एडवाईजरी कमेटी, एस.डी.एम. की अध्यक्षता में में विकासखण्ड एडवाईजरी कमेटी की बैठक कर कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
3. वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 में स्वीकृत संभाग / जिला / खण्ड स्तरीय स्कूल शिक्षा विभाग एवं एकीकृत बाल विकास सेवायें के प्रतिनिधियों का उन्मुखीकरण सुनिश्चित किया जाए इस हेतु पृथक से दिशा–निर्देश राज्य स्तर से प्रेषित किए जायेंगे।
4. **विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक अनुसार विभिन्न आयुवर्ग में मानक हीमोग्लोबिन के स्तर (ग्राम प्रति डेसीलीटर) निम्नानुसार हैं :–**

क्र.	आयु वर्ग	सामान्य	माईल्ड एनीमिया	मध्यम एनीमिया	गंभीर एनीमिया
1	6 से 59 माह	≥11	10-10.9	7-9.9	<7
2	5 से 11 वर्ष	≥11.5	11-11.4	8-10.9	<8
3.	12 से 14 वर्ष	≥12	11-11.9	8-10.9	<8
4.	एन.पी.एन.एल. (Non Pregnant Non Lactating >15 years age and above)	≥12	11-11.9	8-10.9	<8
5.	गर्भवती महिला	≥11	10-10.9	7-9.9	<7
6.	पुरुष	≥13	11-12.9	8-10.9	<8

5. विभिन्न हितग्राही समूहों के लिए आई.एफ.ए. डोज़ निम्नानुसार निर्धारित हैः–

क्र.	आयु समूह	आई.एफ.ए. का डोज	सेवा प्रदायगी
1	6 माह से 5 वर्ष के बच्चे	आई.एफ.ए. सीरप सप्ताह में 2 बार मंगलवार एवं शुक्रवार (ऑटो डिस्पेंसर के साथ) जिसके 1 एम.एल. में 20 एम.जी. एलिमेंटल आयरन एवं 0.1 एम.जी. फोलिक एसिड हो।	• आशा द्वारा समस्त बच्चों को मंगलवार एवं शुक्रवार को मोबेलाइज कर आंगनवाड़ी केन्द्र पर समक्ष में प्रदायगी (**Supervised Supplementation**)। • आशा कार्यकर्ता को 1 रूपये प्रति बच्चे के मान से प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति (अधिकतम रू.100 / – प्रति माह)।
2	5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे	1 आई.एफ.ए. गुलाबी गोली प्रति सप्ताह (45 एम.जी.एलिमेंटल आयरन एवं 0.4 एम.जी. फोलिक एसिड)	• प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों द्वारा प्रदायगी। • शाला त्यागी / शाला अप्रवेशी बच्चों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से प्रदायगी।

क्र.	आयु समूह	आई.एफ.ए. का डोज	सेवा प्रदायगी
3	10 से 19 वर्ष के किशोरवय बालक – बालिकाएं	1 आई.एफ.ए. नीली गोली प्रति सप्ताह (100 एम.जी.एलिमेंटल आयरन एवं 0.5 एम.जी. फोलिक एसिड)	• माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों द्वारा प्रदायगी। • शाला त्यागी/शाला अप्रवेशी बच्चों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से प्रदायगी।
4	गर्भवती महिलायें	गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास के पश्चात प्रतिदिन 1 आई.एफ.ए. लाल गोली निरन्तर प्रसव तक (100 एम.जी. एलिमेंटल आयरन एवं 0.5 एम.जी. फोलिक एसिड)	• ए.एन.एम. द्वारा व्ही.एच.एन.डी. दिवस पर परामर्श एवं प्रदायगी। • एम.सी.पी. कार्ड में प्रविष्टि सुनिश्चित करना।
5	धात्री मातायें	प्रसवोपरांत 1 आई.एफ.ए. लाल गोली प्रतिदिन 6 माह तक (100 एम.जी. एलिमेंटल आयरन एवं 0.5 एम.जी. फोलिक एसिड)	• ए.एन.एम. द्वारा व्ही.एच.एन.डी. दिवस पर परामर्श एवं प्रदायगी।
5	प्रजननकालिक महिलायें (20 वर्ष–49 वर्ष)	1 आई.एफ.ए. लाल गोली प्रति सप्ताह (100एम.जी.एलिमेंटल आयरन एवं 0.5 एम.जी. फोलिक एसिड)	• आशा कार्यकर्ता द्वारा गृहभेंट एवं गर्भनिरोधक वितरण के दौरान।

6. आई.एफ.ए. गोली/सीरप अनुपूरण के कुछ सामान्य साईड इफेक्टस (जैसे– उल्टी, जी घबराना, काली टट्टी होना, जीभ काली होना आदि) हो सकते हैं। उस परिस्थिति में हितग्राही को आई.एफ.ए. सेवन बंद ना करने की समझाईश दी जाए।

7. ज्ञातव्य हो कि प्रदेश में चिन्हित जिलों में किए गए प्रीवलेन्स सर्वेक्षण अनुसार वर्म लोड 20 प्रतिशत से कम है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार 20 प्रतिशत से कम वर्म लोड होने पर कृमिनाशक (एल्वेण्डाजॉल गोली–Chewable 400 mg) वर्ष में 1 बार एक निश्चित दिन पर नेशनल डीवर्मिंग डे के अंतर्गत प्रदायगी सुनिश्चित की जाए।

8. विभिन्न हितग्राही समूहों में कृमि संक्रमण की रोकथाम के लिए एल्बेन्डाजॉल का डोज़ निम्नानुसार निर्धारित है:–

क्र.	आयु समूह	एल्बेन्डाजॉल का डोज	सेवा प्रदाता
1	1 वर्ष से 2 वर्ष के बच्चे	एल्बेन्डाजॉल – आधी गोली (**Chewable** 200 एम.जी.) नेशनल डीवर्मिंग डे के अंतर्गत	आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदायगी।
2	2 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चे	एल्बेन्डाजॉल – पूरी गोली (**Chewable** 400 एम.जी.) नेशनल डीवर्मिंग डे के अंतर्गत	• शालाओं में शिक्षकों द्वारा • शाला त्यागी एवं शाला अप्रवेशी बच्चों को आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदायगी।
3	गर्भवती महिलायें	गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास के पश्चात एल्बेन्डाजॉल – पूरी गोली (**Chewable** 400 एम.जी.)	ए.एन.एम. एवं आशा कार्यकर्ता द्वारा व्ही.एच.एन.डी. दिवस पर प्रदायगी।
4	प्रजननकालिक महिलायें (20 वर्ष–49 वर्ष)	एल्बेन्डाजॉल – पूरी गोली (**Chewable** 400 एम.जी.)	ए.एन.एम. एवं आशा कार्यकर्ता द्वारा व्ही.एच.एन.डी. दिवस पर प्रदायगी।

9. विभिन्न हितग्राही समूहों हेतु आई.एफ.ए. एवं एल्वेण्डाजोल की आवश्यकता का आंकलन निम्नानुसार किया जाए।

क्र.	हितग्राही समूह	कुल जनसंख्या में हितग्राही का प्रतिशत	आई.एफ.ए. कुल डोज़ प्रतिवर्ष/हितग्राही	प्रतिवर्ष आई.एफ.ए. की आवश्यकता	एलबेन्डाजॉल की कुल डोज़ प्रतिवर्ष/हितग्राही	प्रतिवर्ष एलबेन्डाजॉल की आवश्यकता
		A	**B**	**C**	**D**	**E**
1	6 से 59 माह के बच्चे	12.5 %	100 एम.एल. आई. एफ.ए. सीरप प्रति बच्चा प्रति वर्ष	**1.AX1 bottle of 100 ml + 10 % wastage**	1 वर्ष से 2 वर्ष के बच्चे हेतु आधी गोली प्रतिवर्ष 2 से 5 वर्ष के बच्चे हेतु 1 पूरी गोली प्रतिवर्ष	(1 वर्ष से 2 वर्ष के बच्चे x1/2) + (2 से 5 वर्ष के बच्चे x 1) **+ 10 % wastage**
2	5 से 10 वर्ष के बच्चे	12 %	52 आई.एफ.ए. टेबलेट प्रति बच्चा प्रति वर्ष	**2.A X 52 tab/year + 10 % wastage**	1 एल्बेन्डाजॉल टेबलेट प्रति बच्चा प्रति वर्ष	2.**A X1 tab/ year + 10 % wastage**
3	10 से 19 वर्ष के किशोरवय बालक एवं बालिकाएं	22 %	52 आई.एफ.ए. टेबलेट प्रति किशोरवय प्रति वर्ष	**2.A X 52 tab/year + 10 % wastage**	1 एल्बेन्डाजॉल टेबलेट प्रति किशोरवय	2.**A X 1 tab /year + 10 % wastage**

10. उक्त आकलन अनुसार जिलों द्वारा औषधियों का विकेन्द्रीयकृत क्रय कर शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों तक निर्बाद्ध वितरण सुनिश्चित किया जाए।

11. औषधि प्रकोष्ठ द्वारा आई.एफ.ए. सीरप/गोली एवं एल्बेण्डाजॉल के उपार्जन हेतु निम्न L1 प्रदायकर्ता से क्रय अनुबंध किया गया है :–

FMR Code	Name of Drug	Unit	Approved Rate (In Rs.)	Supplier Name	Contract Validity
B.16.2.6.1.a	IFA Syrup (with 1 ml auto dispenser/dropper)	1 Bottle	10.30	Health Secure Pvt. Ltd.	June 2015
B.16.2.6.2.a	Iron Folic Acid Tab – Pink (WIFS Junior-Each tablet contain 45 mg elemental iron and 400mcg folic acid)	10 x10 Tab.	9.99	Ratnamani Health Care Pvt. Ltd.	20-10-2015
B.16.2.6.3.a	Iron Folic Acid Entric coated Tab – Blue (WIFS-Each tablet contain 100 mg elemental iron and 500mcg folic acid)	10 x10 Tab.	15.00	Bochem Health Care Pvt. Ltd.	20-10-2015
B.16.2.6.3.b	Albendazole tab. IP-Chewable 400 mg	10 x10 Tab.	76.06	Zim Laboratories Ltd.	01-09-2015

12. नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (NIPI) कार्यक्रम का क्रियान्वयन विभिन्न हितग्राही समूहों में निम्न प्रकार से किया जाए :–

अ. 6 माह से 60 माह के हितग्राही समूह में क्रियान्वयन :–

- 6 माह से 60 माह के बच्चों को आई.एफ.ए. सीरप (1 एम.एल. में 20 एम.जी. एलिमेंटल आयरन एवं 100 माइक्रो ग्रा. फोलिक एसिड), सप्ताह में दो बार (मंगलवार एवं शुक्रवार को) आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की निगरानी में प्रदान की जाए।
- आई.एफ.ए. सिरफ की प्रदायगी 1 एम.एल. के आटो डिस्पेन्सर/ड्रॉपर द्वारा ही की जाए।
- वर्ष में एक बार, एक निश्चित दिन पर नेशनल डीवर्मिंग डे के अंतर्गत कृमि संक्रमण की रोकथाम हेतु एलबेन्डाजॉल (Chewable-400mg) प्रदान की जाए। 1 से 2 बर्ष के बच्चों को आधी गोली (Chewable-200mg) एवं 2 से 5 बर्ष के बच्चों को 1 गोली (Chewable-400mg) प्रदान जाए।
- **आशा को प्रोत्साहन राशि :–** एक ग्राम में लगभग 1000 की जनसंख्या पर 100 से 120 बच्चे होंगे। आशा कार्यकर्ता द्वारा 6 माह से 60 माह के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मोबिलाइज करने एवं आई.एफ.ए. सीरप का सेवन सुनिश्चित करने पर रूपये 1/– प्रति बच्चे प्रति माह (लगभग रूपये 100/– प्रति माह 6 से 8 डोज की प्रदायगी सुनिश्चित करने पर) की प्रोत्साहन राशि वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 के एफ.एम.आर.कोड B1.1.3.5.2 के अंतर्गत स्वीकृत है।
- प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को आंगनवाड़ी केन्द्र पर 1 आई.एफ.ए. सीरप की बॉटल (100 एम.एल.) खोली जाए एवं उसी से समस्त बच्चों को ड्रॉपर/ऑटो डिस्पेन्सर द्वारा 1 एम.एल. आई.एफ.ए. सीरप पिलाई जाए।
- बच्चे को तेज बुखार, दस्त, निमोनिया, गंभीर कुपोषण (एम.यू.ए.सी. टेप से बच्चे की बांयी उपरी भुजा के मध्य भाग की नाप 11.5 सेमी. से कम होने पर) सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसीमिया रोग होने की पूर्व जानकारी होने पर आई.एफ.ए. सीरप के स्थान पर उचित उपचार हेतु निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर रेफर किया जाए।
- आशा कार्यकर्ता को मासिक बैठक में सीरप की प्रदायगी, रख–रखाव एवं रिपोटिंग के विषय में उन्मुख किया जाए एवं आई.एफ.ए. अनुपूरण एवं कृमिनाशन की पूर्ण जानकारी दी जाए।
  - **a) आई.एफ.ए. सीरप सेवन का समयः– स्तनपान के बाद (यदि बच्चा कम बजन का है) या अर्द्धठोस आहार के आधे घण्टे बाद।**
  - **b) आई.एफ.ए. सीरप की बोतल बच्चे की पहुंच से दूर, ठण्डे एवं अंधेरे स्थान पर रखे, एवं बच्चे को सिरप पिलाने के बाद ढक्कन सही प्रकार से बन्द करें।**
  - **c) एल्बेण्डाजॉल (Chewable-400mg) की गोली बच्चों को चबाकर ही खिलवायें।**
  - **d) छः माह से छोटे शिशुओ में पर्याप्त आयरन का भंडारण होता है एवं मां के दूध में उपलब्ध आयरन से आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है अतः छः माह से छोटे शिशुओ को आयरन नहीं देना है।**
  - **e) आशा कार्यकर्ता द्वारा प्रति माह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से आशा सहयोगिनी/ए.एन.एम./एम.पी. डब्ल्यू. को निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट दी जाए।**

ब. 5 से 10 वर्ष के हितग्राही समूह में क्रियान्वयन :–

- शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं में कक्षा 1 से 5 वर्ष के बच्चों को WIFS Junior 1 आई. एफ.ए. गुलाबी गोली (45 मि.ग्रा. एलिमेंटल आयरन एवं 400 माइक्रो ग्रा.फोलिक एसिड) का सेवन प्रति सप्ताह (मंगलवार) शिक्षकों की निगरानी में किया जाए।
- 5 से 10 वर्ष के शाला त्यागी/शाला अप्रवेशी बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की निगरानी में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर WIFS Junior 1 आई.एफ.ए. गुलाबी गोली का सेवन प्रति सप्ताह भोजन उपरांत सुनिश्चित किया जाए।

- नेशनल डीवर्मिंग डे पर कृमि संक्रमण की रोकथाम हेतु एलबेन्डाजॉल 1 गोली (Chewable-400mg) प्रदान की जाए।
- आशा कार्यकर्ता द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र पर 5 से 10 वर्ष के शाला त्यागी/शाला अप्रवेशी बच्चों को मोबिलाइज किया जाए एवं आई.एफ.ए. सेवन की रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए।

स. 10 से 19 वर्षीय किशोरवय हितग्राही समूह में क्रियान्वयन :–

- 10 वर्ष से 19 वर्ष के किशोरवय बालक –बालिकाओं को WIFS 1 आई.एफ.ए. नीली गोली (100 मि.ग्रा. एलिमेंटल आयरन एवं 500 माइक्रो ग्रा.फोलिक एसिड) प्रति सप्ताह (प्रत्येक मंगलवार) प्रदान की जाए।
- शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त मिडिल, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में कक्षा 6 से 12 वर्ष के बच्चों को WIFS 1 आई.एफ.ए. नीली गोली का सेवन प्रति सप्ताह शिक्षकों की निगरानी में कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 10 से 19 वर्ष के शाला त्यागी/शाला अप्रवेशी किशोरी बालिकाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की निगरानी में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर WIFS 1 आई.एफ.ए. नीली गोली का सेवन प्रति सप्ताह भोजन उपरांत सुनिश्चित किया जाए।
- नेशनल डीवर्मिंग डे पर कृमि संक्रमण की रोकथाम हेतु एलबेन्डाजॉल 1 गोली (400 मि.ग्रा.) प्रदान की जाए।
- आशा कार्यकर्ता द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र पर 10 से 19 वर्ष के शाला त्यागी/शाला अप्रवेशी किशोरी बालिकाओं को मोबिलाइज किया जाए एवं आई.एफ.ए. सेवन की रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए।
- 10 से 19 वर्ष के किशोरवय बालक एवं बालिकाओं में मध्यम एवं गम्भीर एनीमिया की जांच एवं चिन्हांकन (स्क्रीनिंग) कर उन्हें उचित स्वास्थ्य उपचार हेतु रेफर किया जाए।
- समस्त किशोर–किशोरियों में कृमि नाशक के महत्व को बताते हुए उन्हें स्वच्छता संबंधी आदतों को बढावा देने हेतु प्रोत्साहित करना एवं साथ ही कृमि संक्रमण की रोकथाम हेतु पैरों में चप्पल पहनने को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया जाए।
- आशा कार्यकर्ता द्वारा आई.एफ.ए. अनुपूरण की रिपोर्ट आशा सहियोगनी/ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू. को प्रत्येक माह की 3 तारीख तक प्रदान की जाए।

नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (NIPI) कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने वाले प्रशिक्षण, आई.ई.सी., औषधि के उपार्जन हेतु निर्देश जिलों को पृथक से प्रेषित किए जाएगें। उपरोक्त दिशा–निर्देशानुसार जिले में नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (NIPI) कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

o/c (फैज अहमद किदवई)
मिशन संचालक, एन.एच.एम
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./NIPI/2015/5553 भोपाल, दिनांक 26/5/2015

प्रतिलिपि :–

1. **प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, म.प्र.।**
2. **आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.।**
3. **आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, बी विंग, पुस्तक भवन, मध्यप्रदेश।**
4. **आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, मध्यप्रदेश।**
5. **आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवायें, वात्सल्य भवन, मध्यप्रदेश।**
6. **उपसंचालक, मातृ स्वास्थ्य/शिशु स्वास्थ्य/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/आशा/अर्श, एन.एच.एम., म.प्र.।**
7. **समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।**
8. **समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., म.प्र.।**
9. **समस्त जिला पोषण सलाहकार, एन.एच.एम., म.प्र.।**
10. **सुश्री रितु घोष, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, माइक्रोन्यूट्रिएन्ट इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश।**
11. **पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, मध्यप्रदेश।**
12. **डॉ. अबोली गोरे, टीम लीडर, एमपी–टास्ट, मध्यप्रदेश।**
13. **राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, डीवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश।**
14. **समस्त जिला पोषण सलाहकार, शिशु स्वास्थ्य–पोषण, एन.एच.एम.,म.प्र.।**

o/c मिशन संचालक, एन.एच.एम
मध्यप्रदेश